

विवरण

सिद्ध पिता - कदरा सिंह अभिलेख उपस्थापित। अकेध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार लोहरा में संलग्न है। अकेध/संदिग्ध भूमि के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अकेध/संदिग्ध भूमि याम लोहरा सिद्ध द्वारा सुनवाई के दौरान लोहरा सिद्ध ने 2002-03 का वगल रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई पास लगान रसीद के अतिरिक्त राजस्व का हलफे प्रस्तुत किया गया कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त राजस्व का हलफे प्रस्तुत नहीं किया है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अकेध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार देव कर् है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन किया है कि विषयगत भूमि याम लोहरा सिद्ध खता नुं 101/12 प्लॉट नं 236-230 सर्वे खतियान में किस्म मोकोला पंजाल, मोकोला पंजाल दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितकरण योग्य नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लोहरा सिद्ध, पिता - कदरा सिंह लोहरा - पालमुंडा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अकेध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
पालमुंडा	63	101/12	$\frac{236}{2301}$ $\frac{236}{2302}$	1.48 ए० 1.05 ए० 2.53 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
बोलबा।

13/11/21
अंचल अधिकारी,
बोलबा।